रबी विपणन वर्ष 2018–19 में गेंहूं क्रय हेतु बोरों पर कलर कोडिंग भारत सरकार के पत्र संख्या–15(1)/2012–पी0वाई0–3, दिनांक 25.10.2017 (छायाप्रति संलग्न) के अनुरूप की जानी है। इसके अतिरिक्त गेंहूं खरीद हेतु क्रय किये जाने वाले बोरों पर प्रिन्ट किये जाने वाला लोगो निम्नवत् होगा।

| |
|---|
| उत्तर प्रदेश सरकार<br>खाद्य तथा रसद विभाग<br><br>आर0एम0एस0 2018–19<br>(हुक का प्रयोग न करें)<br>शुद्ध वजन 50 किलोग्राम |
| स्वच्छ भारत मिशन<br>स्वच्छ भारत<br>एक कदम स्वच्छता की ओर |

अतः उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी की ओर से तत्काल जूट आयुक्त, कोलकाता से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर 190000 जूट गांठ बोरों के क्रय हेतु इण्डेन्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही कराते हुये लगाये गये इण्डेन्ट की प्रति के साथ कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

( आलोक कुमार )
आयुक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जूट आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स, तृतीय एम0एस0ओ0 भवन, ई एवं एफ विंग, चतुर्थतल, डीएफ ब्लाक, सेक्टर–1, साल्टलेक सिटी, कोलकाता।
2. श्री बृज बिहारी लाल, अवर सचिव (नीति–3) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. प्रमुख, सचिव, खाद्य तथा रसद अनुभाग–5 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।